

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

P-A

crim-I

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

शीताबाई

बनाम

जोर नैनवां

किस्म मुकदमा

नं.

90/प्र०पत्र/24

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-10-24	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा <u>order 9 Rule 4 CPC</u> द्वारा वकील श्री <u>राजेंद्र सिंह वेरुका</u> पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक <u>6.12.24</u> को पेश हो।	
6/12/24	पत्रावली पेश हुई वकील श्री उषा डी वकील श्री की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.12.24 को पेश हो।	
17.12.24	पत्रावली पेश हुई वकील श्री उषा डी वकील श्री की एकपक्षीय बहस में दिमें गए तर्कों पर भ्रमन किया/वकील श्री ने प्रार्थना पत्र में वक्ति तर्कों को दोहराते हुए आ०पत्र 52/2022 को पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल आ०पत्र 52/2022 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिमें जाते हैं। निषेध खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तत्काल मूल आ०पत्र के साथ संलग्न रहे।	

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बून्दी)